



॥ श्री गणेशाय नमः ॥



1247

5000Rs.

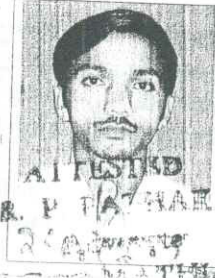
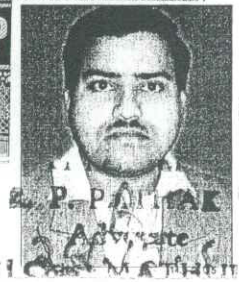
93



Senior Treasury
Officer - Mathura

23 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.



बैनामा 400000/-रुपया स्टाम्प हेतु मालियत 420000/-रुपया स्टाम्प देय 42000/-रुपया जिसमें से 16000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक-29.7.2004 प्रलेख संख्या-6896 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 26100/-रुपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है। बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा, मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/-रुपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या-41 के क्रमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ०नि० मथुरा।

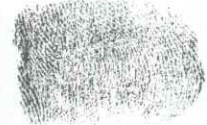
हमकि भगवान सिंह पुत्र स्व० श्री रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व० श्री रामजीलाल निवासी गणनगाम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावन दरवाजा मथुरा मुहायदा व धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भगवान सिंह

श्री रामकटोरी

श्याम सिंह

श्याम सिंह



24/12/08



23 DEC 2005

Sig-SATC

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-331 व खसरा नंबर-64 रकवा 0.636 हैक्टेयर लगानी 8.62 रूपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 2/3 मिलिकियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 2/3 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 2/3 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 2/3 का बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा

1. नि. गगनाशर्मा



2. नि. रामधोरी



3. जयम. ई. ई.



4. रामेश



5000Rs.



Senior Treasury
Officer - Mathura

23 DEC 2005

Sig. Sr. TO

(3)

2/3 एक मात्र पाक साफ मिलिकियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 2/3 की स्टाम्प हेतु मालियत 420000/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक- 29.7.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 1227 के सफा 1/16 नंबर-6896 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के

श्रीमाना... श्री राप्रकोरी

श्रीमान...

Amma...





Senior Treasury
Officer - Mathura

23 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

(4)

अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा व में 16000/-रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/-रुपये का स्टाम्प कमकर 15900/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 26100/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 2/3 को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 400000/-चार लाख रुपये जिसके आधे 200000/-दो लाख रुपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 100000/-रुपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा दिनांक-29.7.2004 पाये व 300000/-तीन लाख रुपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 2/3 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा

श्री गजानाथ सिंह

श्री रामचंदरी

श्री राम सिंह

Homestead





Senior Deputy
Officer - Mathura

23 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

(5)

मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 2/3 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 2/3 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता

10/11/2005

10/11/2005

10/11/2005

10/11/2005



Senior Treasury
Officer - Mathura

21 DEC 2005

Sig. 2005

(6)

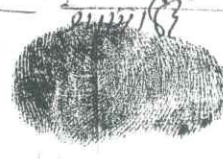
प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है । उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है । फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं । उक्त प्रलेख केता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है । विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है । मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं ।

Signature

Signature

Signature

Signature



20918

100Rs.



(7)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-24.12.2005

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र स्व० श्री महेशकुमार
गिराज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

बि. का. का. का. का.



बी. का. का. का. का.



श. का. का. का. का.



श. का. का. का. का.



गोपाल

उमेश माधवाण्ड

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा

श्रीमान सुन्दर शर्मा

शमल शर्मा

गोपाल

श. का. का. का. का.

श्रीमान गोपाल शर्मा
मथुरा

2007-12-27

Shaped - Cadwales
 सागर चतुर्वेदी स्वयं निवेदन
 भा.नं. 28 सन 2002
 नगर रजिस्ट्री, मयुरा



24/2/05
1678-137-152
12402

70120

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्यौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मधुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाता खतोदार का नाम खतौनी क्रम संख्या	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतोदार द्दारा देव मालपुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संश्लेषण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्प
--------------------------------------	-----------------------------	-------------	---	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	-------

1 2 3 4 5 6 7-12 1

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।

00331 रामजीलाल बसन्ता नि. ग्राम 1360फ 41 0.3520 1360फ 64 0.6360

1408फ

व आदेश यो नि० कोसीखुर्द दि० 05.05.01 प.क. 11 क्रमांक 136 खाता सं० 331 पर रामजीलाल मृतक का खारिज करके वारिस भगवानसिंह व नाहर सिंह पुत्राण रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व० रामजीलाल नि० ग्राम बतौर वारिस दर्ज हों। ह० ले० 05.05.1 1411फ.व. आदेश तह० मधुरा वादस० 3771TM/ 7.2.04/12.2.04को आदेश हुआ कि खाता सं० 331 सं० 41/0.352है० ले० 4.80व खाता सं० 6 के ख० रु 42/0.514है० ले० 6.90 से विभेदता पातरिया पुत्र मनीराम नि० महोलीवहैसयत मुज्तयार नामा इस्तर च पुत्र सुशी व ओम प्रकाश पुत्र विरजी व दयाली व शिवचरण पुत्राण जंगली व भगवान सिंह व नाहर सिंह पुत्राण रामजीलाल व रामभरोसी पत्नी राम जी लाल नि० ग्राम का नाम खारिज करके केता प्रताप सिंह पुत्रश्रीमोहर सिंह नि० मोती कृन्ज एक्सटेशन मौजा विरजापुर का नाम मुज्तार नामा नि० 28.10.02 व 22.10.02 व केनामादि० 24.10. (26.12.03 दर्ज हों। ह० ले० 17.02.4 1413फ.व. आदेश श्रीमान तहसीलदार मधुरा वाद सं० 399TM ता.क. 27.1.06 के अनुसार खाता संख्या 3 खसरा संख्या 64 रकबा 0.630 भू.रा. 8.60 के 2/3 भू से विभेदता भगवान सिंह पुत्र रामजीलाल व रामकटोरी

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्यौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मधुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खतेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संश्लेष उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप
------------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------	---	--	---	--	---	-----

1

2

3

4

5

6

7-12

1.

कुल गाटे : 2 कुल क्षेत्र : 0.9880

13.40

पत्नी रामजीलाल निवासी आन्यौर का नाम खरिज करके
ब्रेला प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोर्जीकन्व
एक्सेटेशन मधुरा का नाम बतौर सं. म. दर्ज हो।
ह.र.का.27.1.06



महसोलदार, मथुरा

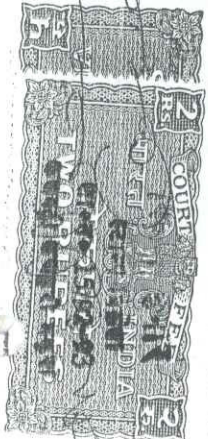
वाद संख्या 19/2006-07

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 3100

मौजा आन्धौर

रकम घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 3100



तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 15. 11. 2006 से विदित है कि मौजा आन्धौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 6 खसरा संख्या 62/0. 833, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 42/0. 514, खाता संख्या 160 खसरा संख्या 65/0. 445, खाता संख्या 204 खसरा संख्या 59/0. 612, खाता संख्या 331 खसरा संख्या 64/0. 414 व 41/0. 352 हे. प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा संग्रहणीय भूमिधर वर्ग कागजात हैं। मौजे पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इस भूमि में गांव तथा भूमि प्रस्तावित नहीं हैं और न यह भूमि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आवगदी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रसंगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अकुधिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकुधिक उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण	अन्य खसरा रकबा भूराजस्व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्धौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा	6	62	0.833	13.65	62	0.833	13.65	पैसे ✓
			42	0.514	6.90	42	0.514	6.90	पैसे ✓
		75	38	0.093	1.50	38	0.093	1.50	पैसे ✓
		160	65	0.445	8.10	65	0.445	8.10	पैसे ✓
		204	59	0.612	10.10	59	0.612	10.10	पैसे ✓
		331	64	0.414	5.60	64	0.414	5.60	पैसे ✓
			41	0.352	4.80	41	0.352	4.80	पैसे ✓



योग- 05 किता 07 किता 3.263 50.65 07 किता 3.263 हे. 50.65

उपरोक्त घोषणा को एवं-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक, मथुरा को उभिलिखों में हस्ताक्षर करने हेतु भेजी जाती है।

दिनांक: 22. 11. 2006

अवनीश कुमार शर्मा
उप जिलाधिकारी, मथुरा।

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार

22/11/06 कार्रवाई हेतु प्रेषित।
दिनांक: 22. 11. 2006

अवनीश कुमार शर्मा